न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 20/2015

RCMS No. 2015/00502

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 शांतिलाल पुत्र भुरमल जाति जैन निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी आनन्द आश्रम, बी.रूप 74, 3 माला वरली, मुम्बई		1. मगराज पुत्र जीवराज जाति जैन निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी 49/6, 5 क्रोस रोड़, एल.आई.सी. कॉलोनी, 3 ब्लॉक ईस्ट, जयनगर, बैंगलोर 2. ग्राम पंचायत सारण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सारण

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या ..../....., संकल्प संख्या ..... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 09.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम सारण में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान आया हुआ स्थित है। प्रार्थी अपने परिवार सहित व्यापार के सिलसिले में मुम्बई निवास करता है तथा गांव में आता जाता रहता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान को खुर्द बुर्द करना आरम्भ कर दिया, जिय पर प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय मा0जं0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया। हालांकि उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र बाद में खारिज हुआ, जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। इस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रेकर्ड की मांग की, तो ग्राम पंचायत द्वारा यह बताया गया कि उक्त जैर निगरानी पट्टें से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को अपनी खरीदसुदा होना बताता है तथा खरीद का जो दस्तावेज बताया गया है, वह अनस्टाम्प्ड एवं अपंजिकृत दस्तावेज है, जो किसी भी रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा ऐसे शून्य प्रभावी दस्तावेज से किसी प्रकार के हक अधिकार तय नहीं होते है तथा जिस सूरजमल से उक्त भूमि क्रय करना बताया है, वह प्रार्थी का भाई है तथा उसको उक्त भूमि/मकान को बेचान करने का अधिकार ही नहीं था। ग्राम पंचायत के समक्ष ने तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम की। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए बिना कोरम में प्रस्ताव लिए बिना किसी आज्ञा के जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि/मकान को अपना पुश्तैनी होना बताया है, जबकि इन तथ्यों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक उक्त भूमि पर प्रार्थी के हक अधिकारों का प्रश्न है, तो हक अधिकारों का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है तथा साथ ही उक्त भूमि का सूरजमल को बेचान करने का अधिकार था अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण भी इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। माननीय सिविल न्यायालय में जो प्रकरण में विचाराधीन था, उसमें जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा एवं मकान स्थित होना माना है तथा प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा सूरजमल को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जबकि उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इसी भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में निगरानी पोषणीय नहीं है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान निर्मित है, प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में घेवरचन्द एवं सूरजमल के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें पंचायत द्वारा उक्त भूमि सूरजमल की मानी है। इस प्रकार उक्त भूमि के सम्बन्ध में सूरजमल के ही हक अधिकार थे तथा सूरजमल को उक्त भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत के कोरम की सहमति से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या ..../........, संकल्प संख्या .... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 09.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.11.2017 के जरिये जाहिर किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विवरण पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। उक्त रिपोर्ट के साथ पट्टे की मूल प्रति प्रस्तुत की है। उक्त पट्टे की मूल प्रति का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पट्टे पर न तो मिसल संख्या अंकित है एवं न ही संकल्प संख्या/दिनांक अंकित है, जिसकी पालना में उक्त पट्टा जारी किया गया हो। यह स्थिति प्रकरण में पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसकी विधिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा प्रक्रिया को दूषित एवं संदेहास्पद बनाती है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आज्ञा के जारी किये गये पट्टे को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या ..../....., संकल्प संख्या ..... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 09.02.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सारण को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली